

संविधान निर्माताओं के यादगार उद्धरण

के एम मुंशी : दूरदर्शी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सांस्कृतिक दिग्गज

कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी का जन्म 30 दिसंबर 1887 को हुआ था, जिन्हें 'घनश्याम व्यास' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1938 में एक शैक्षणिक ट्रस्ट 'भारतीय विद्या भवन' की स्थापना की। श्री अरबिंदो के प्रभाव में उनका झुकाव क्रांतिकारी समूह की ओर हो गया। लेकिन मुंबई में बसने के बाद, वह 'भारतीय होम रूल आंदोलन' में शामिल हो गए और 1915 में इसके सचिव बन गए। 1927 में, वह बॉम्बे विधान सभा के लिए चुने गए लेकिन 'बारदोली सत्याग्रह' के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 1930 और 1932 के 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' में भाग लिया, 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने दो साल जेल में बिताए। 1937 के बॉम्बे प्रेसीडेंसी चुनाव में मुंशी चुने गए और गृह मंत्री के रूप में, बॉम्बे में उन्होंने सांप्रदायिक दंगों को खत्म किया। 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' में भाग लेने के बाद 1940 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 8 फरवरी 1971 को उनका निधन हो गया।

शिक्षा और साहित्य में योगदान

गुजराती में 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक रहे, अंग्रेजी में भी उन्होंने लेखन किया; उनकी कुछ पुस्तकें हैं- गुजरात और उसका साहित्य, भगवत गीता और आधुनिक जीवन, भारतीय मूर्तिकला की गाथा, एक युग का अंत - हैदराबाद के संस्मरण, इतिहास की चेतावनी, कृष्णावतार आदि।

संविधान सभा में के एम मुंशी द्वारा दिए गए भाषणों के अंश

संविधान की भूमिका पर

15 अगस्त तक भारत एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर डोमिनियन होगा। हम यथाशीघ्र उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं और अपना स्वयं का एक संविधान बनाना चाहते हैं जो हमें आवश्यक शक्ति प्रदान करेगा।

समय हमारी गतिविधियों का सार है। हमें महान और शक्तिशाली मजबूत भारत के लिए संविधान बनाने के दृढ़ उद्देश्य के साथ दुनिया का सामना करना होगा।

श्रोत : नियम का संशोधन खंड IV 14/07/1947

न्याय और संप्रभुता पर

मेरे लिए यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि "धोखाधड़ी" पूरी दुनिया में और न्यायशास्त्र की सभी प्रणालियों में धोखाधड़ी है।

स्रोत: मौलिक अधिकारों पर अंतरिम रिपोर्ट-जारी है। वॉल्यूम III 01/05/1947

संप्रभु लोग सभी लोग नहीं हैं, बल्कि भारत के संप्रभु लोग हैं जो अपने सर्वोच्च अंग, संविधान सभा के माध्यम से कार्य करते हैं, जो पूरे देश के लिए संविधान का निर्माण कर रहे हैं। कोई

प्रांतीय-स्वायत्तता नहीं है, स्वयं या स्वयं के लिए कोई संघ नहीं है, ये पवित्र शब्द नहीं हैं।
प्रत्येक सरकार को भारत के संप्रभु लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

स्रोत: अनुच्छेद 280ए खंड X 16/10/1949

यह अन्य लोगों और विशेष रूप से प्रशासन का कर्तव्य होना चाहिए, कि कानून के शासन को
इस तरह से लागू किया जाए कि सामंतवाद के सभी अवशेष खत्म हो जाएं।

स्रोत: प्रारूप संविधान -- (जारी): भाग VI-ए -- (जारी) खंड X
13/10/1949

भारत की एकता और शक्ति पर

अब हमारे पास एक ऐसा भारत है जो पाकिस्तान के बिना भी इतिहास में पहले से कहीं अधिक
विशाल और अधिक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण संगठित है, और अब यह हमारी, विशेष रूप से
भावी संसद और भविष्य के भारत सरकार की है, कि देश के सभी हिस्सों को इस तरह संगठित
किया जाए ताकि भारत एक मजबूत और कॉम्पैक्ट राष्ट्र बन सके।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुगल और ब्रिटिश का अल से चला या रहा भारतीय राज्यों
का दुःस्वप्न बीत चुका है और भारत के संप्रभु लोग अब मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं और
उन अभिलषित आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना में
देश के समक्ष रखा है।

स्रोत: प्रारूप संविधान -- (जारी): भाग VI-A -- (जारी) खंड X 13/10/1949

वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयारियों पर

मुझे डर है कि विश्व एक अन्य संकट की ओर बढ़ रहा है, और जब वह संकट आए, ऐसा हो
सकता है कि यह कभी न आए, तो हमें तैयार होना चाहिए।

स्रोत: नियम संशोधन खंड IV 14/07/1947